न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 04/2004/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. ईशरा रामेश्वर पि0 डालू बलाई निवासी काबरियावास
2. बृजमोहन पुत्र हरिद्वार ब्राहमण निवासी रामगढ
3. गोविन्दराम पुत्र रामनारायण ब्राहमण निवासी रामगढ
4. हीरालाल पुत्र औंकारमल ब्राहमण निवासी रामगढ
5. गीता देवी बेवा बजरंगलाल, ओमप्रकाश जुगलकिशोर पि0 बजरंगलाल ब्राहमण निवासी रामगढ
6. बनवारी लाल भागचन्द सीताराम पि0 मदनलाल ब्राहमण निवासी रामगढ
7. रमेश पुत्र सोहन लाल आलसी बेवा सोहनलाल आनन्दी देवी, भंवरी देवी मन्जू देवी पुत्रीयां सोहनलाल ब्राहमण निवासी रामगढ
8. मनमोहन दामोदर प्रसाद पि0 हरलाल ब्राहमण निवासी रामगढ
9. चिरंजीलाल पुत्र मूलचन्द ब्राहमण निवासी रामगढ
10. सावित्री देवी बेवा राधेश्याम धमेन्द्र कुमार पिता राधेश्याम सुनीता अनीता पुत्रीयां राधेश्याम ब्राहमण निवासी रामगढ
11. चिमनाराम मदनलाल झाबरमल हेमाराम उल्लूराम श्रवणराम पिता घीसाराम जाट निवासी दौलपुरा
12. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा दांता।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री रामेश्वर लाल बिजारणिंया

निर्णय **दिनांकः–28.11.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामगढ के साबिक ख. नं. 119 रकबा 30बीघा 19 बिस्वा वर्तमान में ग्राम दौलपुरा के नवीन ख0नं0 437, 438, 439 रकबा 7.83 बने है। प्रथम मिशल हकियत में नाम उपभोक्ता के कालम 3 में माफी भागीरथ वल्द मन्नालाल कौम ब्राहमण सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा उपभोक्ता के (कॉलम 4) में भागीरथ वल्द मन्नालाल हि 1/12 व हनुमान व सत्यनारायण पि0 मन्नालाल हि 1/6 हि0 बराबर उँकार वल्द गणपत हि 1/4 व मदनलाल मूलचन्द सोहनलाल मनमोहन दामोदर पि हरलाल हि 1/2 कौम ब्राहमण सा देह का नाम दर्ज था एवम् कृषक के कालम 5 में डाल्या वल्द रतन्या कौम बलाई सा0 काबरियावास हिस्सा 1/3 खुद काश्त हिस्सा 2/3 दर्ज था जिसको प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2023 में डालू पुत्र रतना बलाई सा0 काबरियावास हिस्सा 1/3 व भागीरथ पुत्र मन्नालाल हिस्सा 1/12 हनमान व सत्यनारायण पिता मन्नालाल हिस्सा 1/6 हिस्सा बराबर औंकार पुत्र गणपत हिस्सा 1/4 व मदनलाल मूलचन्द सोहनलाल मनमोहन दामोदर लाल हिस्सा 1/2 ब्राहमण सा0 देह हिस्सा 2/3 के नाम खातेदारी दफा 19 में दे दी गई जबकि गिरदावरी 2009 से से 2011

तक में खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपालजी वाके देह पुजारी भागीरथ पुत्र मन्ना लाल ब्राहमण के नाम दर्ज थी। सम्वत 2014 में उपकृषक हनमान खाती 2015 में हनुमान 1/4 मदनलाल 2016 में बदस्तूर 2018 में उपकृषक डालूराम रतना बलाई काबरियावास हिस्सा 1/2 व भागीरथ वगैरह हिस्सा 2/3 हनुमान सहाय सत्यनारायण 1/4 मदनलाल 1/2 व औंकार 1/4 मु.3 सा दर्ज था। सं 2019 में उपकृषक विश्वेश्वर पुत्र श्योबक्स ब्रा 1/4 हणमान सत्यनारायण 1/4 मदनलाल 1/2 ब्राहमण सा0देह दर्ज था इस प्रकार गिरदावरी के अनुसार कब्जा काश्त के हिसाब से 2020–23 की जमाबन्दी में दफा 19 के तहत खातेदारी उपरोक्तानुसार दर्ज कर दी गई जिसका नामान्तरकरण दर्ज रिकार्ड नहीं है। इसके पश्चात ना. सं. 447 दिनांक 17.01.77 से मूलचन्द खातेदार की विरासत चिरजीलाल राधेश्याम पिता मूलचन्द तथा ना.सं. 474 से भागीरथ व सत्यनारायण की विरासत दर्ज की गई है। तथा नामान्तकरण संख्या 729 दिनांक 09.06.1984 से डालू के फौत होने पर उसके वारिसान फूली बेवा डालू इशरा रामेश्वर पिता डालू के नाम दर्ज हुई है। इसके पश्चात् ना. सं. 32 दिनांक 10.08.1999 ग्राम दौलपुरा से मांगीलाल की फौतगी पर इसकी विरासत भूराराम हीराराम छोटेलाल गंगाराम पि मांगीलाल के नाम दर्ज की गई तथा ना. सं. 33 दिनांक 10.08.1999 से औकारमल की विरासत हीरालाल पुत्र औकारमल के नाम दर्ज हुई है। ना.सं. 70 दिनांक 14.07.03 से मनमोहन पुत्र हरलाल का हिस्सा रहन एसबीबीजे शाखा दांतारामगढ के पक्ष में रहन की गई। ना.सं. 74 दिनांक 05.01.2004 मदनलाल पुत्र हरलाल के बजाए बनवारी लाल भागचन्द सीताराम पिता मदनलाल तथा सोहनलाल पुत्र हरलाल के स्थान पर आलमी देवी बेवा सोहनलाल रमेश पुत्र सोहन लाल आनन्दी देवी भंवरी देवी मन्जूदेवी पुत्रियां सोहनलाल तथा राधेश्याम के स्थान पर सावित्री देवी बेवा राधेश्याम धमेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम सुनीता अनीता पुत्रियां राधेश्याम के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रकरण में माफी मन्दिर की भूमि की खातेदारी दफा 19 के तहत एव नां.सं. 447, 474, 729 ग्राम रामगढ तथा ना.सं. 32, 33, 70 तथा 74 ग्राम दौलपुरा पुजारी व अन्य के नाम दर्ज हुई खातेदारी निरस्त होने योग्य है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी मदनलाल व श्रवण की और से वकील श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया उपस्थित आये। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2013 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपाल जी वाके देह पुजारी भागीरथ पुत्र मन्नालाल ब्राहमण सा. देह खुद काश्त के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–2019 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात उप काश्तकार के कॉलम में डालू पुत्र रतना बलाई हिस्सा 1/2 व भागीरथ वगै0 हिस्सा 2/3 सा.देह के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 119 जिसके नये खसरा नम्बर 437, 438, 439 अंकित कर दिये गये। भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2007–2026 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में माफी भागीरथ वल्द मन्नालाल कौम ब्राहमण सा.देह से कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता में भागीरथ वल्द मन्नालाल हिस्सा 1/12 व हनुमान सत्यनारायण पि. मन्नालाल हि0 1/6 हि.बराबर उंकार वल्द गणपति व मदनलाल मूलचन्द सोहनलाल मनमोहन दामोदर पि. हरलाल हिस्सा 1/2 कौम ब्राहमण सा.देह के नाम व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में डाल्या वल्द रतन्या कौम बलाई सा. कावरियावास हि. 1/3 खुदकाश्त हि. 2/3 दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 474 के खातेदार सत्यनारायण व भागीरथ फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 729 के द्वारा खातेदार डालू फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 32 व 33 के द्वारा खातेदार मांगीलाल व ओंकार फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी

सम्वत् 2056—2059 के मुताबिक उक्त आराजियात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012—2013 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपाल जी वाके देह पुजारी भागीरथ पुत्र मन्नालाल ब्राहमण सा.देह खुद काश्त के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं भू—प्रबन्ध विभाग की खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2007—2026 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में माफी भागीरथ वल्द मन्नालाल कौम ब्राहमण सा.देह एवं कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता में भागीरथ वल्द मन्नालाल हिस्सा 1/12 व हनुमान सत्यनारायण पि. मन्नालाल हि0 1/6 हि.बराबर उंकार वल्द गणपति व मदनलाल मूलचन्द सोहनलाल मनमोहन दामोदर पि. हरलाल हिस्सा 1/2 कौम ब्राहमण सा.देह के नाम व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में डाल्या वल्द रतन्या कौम बलाई सा. कावरियावास हि. 1/3 खुदकाश्त हि. 2/3 दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012—2013 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री गोपाल जी खुद काश्त दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत भू—प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2007—2026 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम रामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 119 जिसके नये खसरा नम्बर 437, 438, 439 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 447, 474, 729 ग्राम रामगढ तथा ना.सं. 32, 33, 70 तथा 74 ग्राम दौलपुरा के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.12.03 18:03:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: